(50)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक अपील 678–दो/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–2–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण कमांक 14/14–15/अपील.

अर्जुनसिंह पिता उदयसिंह राजपूत
निवासी ग्राम टोकरा
तहसील बड़नगर जिला उज्जैन .....अपीलार्थी

विरूद्ध

1– म0प्र0 शासन द्वारा पटवारी मौजा ग्राम टोकरा
तहसील बड़नगर जिला उज्जैन
2– जसवन्त सिंह पिता प्रहलाद सिंह राजपूत
निवासी ग्राम टोकरा
तहसील बड़नगर जिला उज्जैन .....प्रत्यर्थीगण

श्री अखलाक कुरैशी, अभिभाषक, अपीलार्थी
श्री दिनेश ब्यास, अभिभाषक, प्रत्यर्थी क. 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/12/16 को पारित)

अपीलार्थी द्वारा यह अपील म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के अंतर्गत अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–2–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा कलेक्टर, उज्जैन के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम टोकरा परगना बड़नगर स्थित भूमि सर्वे कमांक 75 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा वर्ष 1936–37 में फतेसिंह पिता नाहरसिंह के नाम पर दर्ज थी । वर्ष 1959 में संहिता लागू होने पर सर्वे कमांक 75 रकबा 0.805 हेक्टेयर गौचर के रूप में दर्ज की गई, इसमें 0.700 हेक्टेयर गौचर तथा रकबा 0.105 हेक्टेयर रास्ते के रूप में अंकित हुआ । तत्पश्चात वर्ष 1989–90 में बंदोबस्त होने

पर सर्वे क्रमांक 75 नि. रकबा 0.10 रास्ते के रूप में उल्लेख किया गया एवं सर्वे क्रमांक 75 का शेष रकबा 0.700 आरे का नवीन नम्बर नहीं दिया गया है, जबकि प्रश्नाधीन भूमि फतेसिंह के आधिपत्य में चली आ रही है, अतः उक्त भूमि का नवीन नम्बर तथा मानचित्र में आकृति मौके के मान से अंकित की जाये । अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण क्रमांक 21/अ–74/2011–12 दर्ज कर अनुविभागीय अधिकारी, बड़नगर के माध्यम से तहसील न्यायालय से प्रतिवेदन मंगाया जाकर दिनांक 13–2–2013 को आदेश पारित कर नायब तहसीलदार, बड़नगर के प्रतिवेदन दिनांक 16–12–2010 तथा अनुविभागीय अधिकारी, बड़नगर की अनुशंसा टीप दिनांक 13–1–2011 के आधार पर भूमि सर्वे क्रमांक 52 का रकबा 1.76 हेक्टेयर के स्थान पर रकबा 2.33 हेक्टेयर कायम करते हुए सर्वे क्रमांक 52/2 रकबा 0.77 हेक्टेयर का भूमिस्वामी अपीलार्थी अर्जुनसिंह को माना गया एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तावित संशोधित नक्शे में सर्वे क्रमांक 52/2 में रास्ता दर्शाया गया है, वह रास्ता सार्वजनिक उपयोग के लिए रहेगा एवं सर्वे क्रमांक 52/1 रकबा 1.56 हेक्टेयर भूमि गौचर शासकीय मद में रखा गया । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 30–9–2013 को आदेश पारित कर अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त करते हुए अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 9–4–2014 को आदेश पारित कर अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः आदेश पारित करने के लिए अपर आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया गया । इस न्यायालय के आदेश के पालन में अपर आयुक्त द्वारा कार्यवाही की जाकर दिनांक 28–2–2015 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की जाकर अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अपर आयुक्त द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 9–4–2014 में दिये गये निर्देशों का पालन नहीं किया गया है, जबकि वरिष्ठ न्यायालय का आदेश अधीनस्थ न्यायालय पर आबद्धकर है । अतः अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

(2) तहसील न्यायालय द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन एवं राजस्व निरीक्षक व पटवारी द्वारा मौके पर स्थल निरीक्षण किया जाकर पड़ौसी कृषकों को बुलाकर पंचनामा बनाया गया है, और तहसील न्यायालय द्वारा कथन भी अंकित किये गये हैं तथा प्रतिवेदन के साथ सर्वे क्रमांक 52 का बटांकन व नक्शा भी संलग्न किया गया है, जिसमें प्रश्नाधीन भूमि अपीलार्थी के कब्जे में पाई गई है । अतः प्रतिवेदन के आधार पर अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित है, किन्तु अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण में आई साक्ष्य एवं तथ्यों पर बिना विवेचना अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त करने में त्रुटि की गई है ।

(3) संहिता की धारा 107 (5) के अंतर्गत नक्शा दुरूस्त करने का अधिकार कलेक्टर को प्राप्त है, और संहिता की धारा 89 व 107 को एकसाथ पढ़ा जायेगा, अतः अपर आयुक्त का यह निष्कर्ष उचित नहीं है कि अपर कलेक्टर द्वारा क्षेत्राधिकार रहित आदेश पारित किया गया है ।

(4) संहिता की धारा 111 तथा 257(4) के अंतर्गत खसरे नक्शे में प्रविष्टि के शुद्धिकरण संबंधी अनन्य अधिकारिता राजस्व न्यायालयों में निहित है, सिविल न्यायालय को ऐसी अधिकारिता प्राप्त नहीं है ।

(5) प्रश्नाधीन भूमि बटवारे में फतेसिंह द्वारा उदयसिंह को दी गई है तत्पश्चात अपीलार्थी के हिस्से में आई है, और प्रत्यर्थी क्रमांक 2 का इस भूमि से कोई लेना–देना नहीं है ।

(6) प्रश्नाधीन भूमि आज भी अपीलार्थी के कब्जे में है, और उसके द्वारा निरंतर कृषि कार्य किया जा रहा है ।

(7) संहिता की धारा 89 व 107 के अंतर्गत नक्शे में त्रुटि सुधार के लिए अवधि का कोई प्रावधान नहीं है, और अपीलार्थी को नक्शे की त्रुटि का ज्ञान होते ही उसके द्वारा त्रुटि सुधार का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे स्वीकार करने में अपर कलेक्टर द्वारा कोई अवैधानिकता नहीं की गई है, किन्तु अपर आयुक्त द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं देकर अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त करने में भूल की गई है ।

तर्कों के समर्थन में 2011 आर.एन. 57, 1987 आर.एन. 304, 2002 आर.एन. 238 (एच.सी.), 1995 आर.एन. 142 (एच.सी.) के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ प्रत्यर्थी क्रमांक 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) बन्दोबस्त खसरा वर्ष 1992-93 के अनुसार पुराने सर्वे कमांक 75 से नित का नया कमांक 51 निर्मित हुआ है । वर्ष 1963-64 से 1967-68 में सर्वे कमांक 75 का रकबा 3।।। 2 अंकित है, स्पष्ट प्रतीत होता है कि सर्वे कमांक 75 का रकबा गणना करने में छूटा हुआ है, इस तरह पुराने सर्वे कमांक 260, 261, 262, 264, 265 को मिलाकर नया कमांक 52 रकबा 1.76 शासकीय गौचर का निर्माण किया है । यह गलत रूप से निर्मित है, जबकि वास्तव में नया सर्वे कमांक 52 का निर्माण पुराने सर्वे कमांक 260, 261, 263, 264, 265 व 57 से होना चाहिए, सर्वे कमांक 52 के निर्माण में सर्वे कमांक 262 के स्थान पर सर्वे कमांक 75 रहना चाहिए तभी सर्वे कमांक का रकबा मिलान रहता है । सर्वे कमांक 262 का रकबा 1.64 हेक्टेयर है तथा इसका पुराना नम्बर 185 होकर भूमिस्वामी उदयसिंह रिकार्ड में है ।

(2) अपर कलेक्टर के समक्ष प्रचलित प्रकरण रिकार्ड दुरूस्ती से संबंधित नहीं है, न ही अपर कलेक्टर को रिकार्ड दुरूस्त करने का अधिकार प्राप्त है, जबकि अपीलार्थी द्वारा लगभग 22 वर्ष पश्चात आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, और आवेदन पत्र के साथ अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । अतः अपर कलेक्टर को इसी आधार पर आवेदन पत्र निरस्त करना चाहिए था, किन्तु ऐसा नहीं करने से अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(3) अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि सर्वे कमांक 52 में सर्वे कमांक 75 का रकबा मिलाकर उसका रकबा बड़ा कर दिया जाये तथा बटांकन में हिस्सा अलग कर दिया जाये, किन्तु अपर कलेक्टर ने आवेदन पत्र के विपरीत जाकर सर्वे कमांक 52 का वास्तविक रकबा 1.76 हेक्टेयर है तथा वह शासकीय अभिलेख में गौचर दर्ज है । रिनम्बरिंग पर्चे के आधार पर देखा जाये तो इस सर्वे कमांक में सर्वे कमांक 75 का कोई समावेश नहीं है तथा कोई रकबा सम्मिलित नहीं है ।

(4) राजस्व निरीक्षक द्वारा अपने प्रतिवेदन में कहा गया है कि सर्वे कमांक 75 का कोई नया सर्वे कमांक नहीं बना है । मात्र कल्पना के आधार पर राजस्व निरीक्षक द्वारा कह दिया गया है कि सर्वे कमांक 75 का रकबा सर्वे कमांक 52 में सम्मिलित है । अतः ऐसे प्रतिवेदन के आधार पर अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(5) पुराने भूमि सर्वे क्रमांक 75 रकबा 3.111 2 खसरा संवत् 1993 में फतेसिंह के नाम दर्ज है, और वह शासकीय मद में कैसे अंकित हो गई, इस संबंध में सक्षम अधिकारी का कोई आदेश नहीं है । इससे स्पष्ट है कि जब किसी अधिकारी द्वारा सर्वे क्रमांक 75 को सर्वे क्रमांक 52 में सम्मिलित ही नहीं किया गया है तथा प्रश्नाधीन भूमि फतेसिंह की बताई जा रही है । फतेसिंह के दो वारिस हैं, अनावेदक क्रमांक 2 के पिता प्रहलाद सिंह व अपीलार्थी के पिता उदयसिंह, अतः किस आधार पर राजस्व निरीक्षक द्वारा यह मान लिया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि अपीलार्थी को बटवारे में प्राप्त हुई है, जबकि बटवारे का कोई आदेश ही नहीं है ।

(6) अगर कहीं गॉव में 2 प्रतिशत से अधिक चरनोई भूमि है तो उसका मतलब यह नहीं है कि चरनोई भूमि किसी निजी व्यक्ति को दे दी जाये, किन्तु अपर कलेक्टर द्वारा चरनाई भूमि को अपीलार्थी की भूमि में सम्मिलित की गई है ।

(7) नायब तहसीलदार द्वारा जॉच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि खसरा रिकार्ड में शासकीय गौचर दर्ज है, परन्तु जॉच प्रतिवेदन में उसे लिपिकीय त्रुटि मानकर संशोधित किये जाने संबंधी प्रतिवेदन देने में अवैधानिकता की गई है ।

(8) प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में संहिता की धारा 248 के अंतर्गत प्रकरण प्रचलित हुए हैं, जिसमें अपीलार्थी को अतिकामक माना गया है ।

(9) अपीलार्थी की ओर से यह तथ्य प्रस्तुत कर न्यायालय को भ्रमित किया जा रहा है कि अपर आयुक्त द्वारा इस न्यायालय के आदेश पालन नहीं किया गया है, जबकि अपर आयुक्त द्वारा इस न्यायालय के आदेश का अक्षरशः पालन करते हुए ही आदेश पारित किया गया है ।

(10) तहसील न्यायालय द्वारा जॉच के दौरान राजस्व निरीक्षक के कथन नहीं लिये गये हैं, जबकि विधान में यह प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई प्रतिवेदन, पंचनामा बनाया है तथा उसमें जो तथ्य लिखे हैं उन तथ्य को साक्ष्य से प्रदर्शित करना पड़ेगा, अन्यथा दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है ।

(11) अपर कलेक्टर द्वारा पंचनामा के साक्षियों के कथन अंकित नहीं किये गये हैं ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा इस न्यायालय के प्रत्यावर्तन आदेश के पालन में कार्यवाही करते हुए उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर तथ्यों

एवं विधि के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए उन पर विस्तृत विवेचना कर निष्कर्ष निकाला गया है, जो कि पूर्णतः विधिसंगत है । अपीलार्थी द्वारा संवत् 1993 अर्थात 1936–37 में प्रश्नाधीन भूमि पर फतेसिंह का नाम दर्ज होना बतलाया जा रहा है, जबकि जिस समय दिनांक 2–10–1959 को संहिता लागू की गई थी, तत्समय रिकार्ड आफ राईट्स तैयार किये गये थे । इसके अतिरिक्त वर्ष 1989–90 में बंदोबस्त भी हुआ है, तब भी राजस्व अभिलेख अद्यतन किये गये, और उन दोनों अवसरों पर अपीलार्थी की ओर से प्रश्नाधीन भूमि पर अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर द्वारा संहिता की धारा 89 एवं 107 का त्रुटिपूर्ण आधार लेते हुए प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में संशोधन आदेश पारित किया गया है, जो कि अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही होने से अपर आयुक्त द्वारा अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है, इसलिए उनका आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–2–2015 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर